

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ कालम 07 में अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	विषय	मृत्यू प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या	जन्मतिथि	निधन का दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	मसरत असमा, कोहना-टोक	इतिहास	08110014000062100779 / 2021	30.08.1962	11.05.2021	11.05.2021
2	महेश दाया, धानणवा-नागौर	इतिहास	08111001000001000282 / 2021	05.08.1989	01.05.2021	01.05.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक:-

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)
आईएस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/2021

दिनांक:- 05/07/2021

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01 संबधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 02 संबधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 03 संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 04 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 05 संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा
- 06 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 07 संबधित शाला/संस्था प्रधान, को पाबंद किया जाता है कि संबधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवाए।
- 08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण/हितकारी निधि अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 09 निजी / रक्षित पत्रायली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर